भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.4469

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

अनियंत्रित नगरीय विकास

4469. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषकर पर्यटन नगरों और वन्यजीव अभयारण्यों, प्रसिद्ध आर्द्र भूमियों के निकट के कस्बों और ऐतिहासिक स्थलों वाले कस्बों में अनियंत्रित नगरीय विकास का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देशभर में इस संबंध में राजस्थान सहित राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान के कुम्भलगढ़ और राजसमन्द शहरों में अनियंत्रित और अवैध निर्माणों के विरुद्ध राज्य सरकार के समन्वय से निवारक कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के प्रावधानों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत और अमृत 2.0), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0) आदि के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है। मिशन/योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसके अलावा, अवैध निर्माण भी राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए, इस संबंध में निवारक कार्रवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जानी है।